

प्रेस नोट थाना चिलुआताल गोरखपुर दिनांक 04.04.2024

कूटरचित दस्तावेज बनाकर जमीन लिखवाने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में व0उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 475/23 धारा 419,420,467,468,471,506 भा0द0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त बलवन्त सिंह पुत्र स्व0 दयाशंकर सिंह निवासी पाली थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी की कृषि भूमि की कूटरचना द्वारा अवैध दस्तावेज तैयार कर, प्रतिरूपण कर झूठी गवाही दिलवाकर बैनामा करवा लिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व आपराधिक इतिहास -

बलवन्त सिंह पुत्र स्व0 दयाशंकर सिंह निवासी पाली थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 475/23 धारा 419,420,467,468,471,506 भा0द0सं0 थाना चिलुआताल ,गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 304/2017 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 192/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. मु 0सं0अ0 399/2023 धारा 379,506 भा0द0सं0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
5. मु सं0अ0 476/2019 धारा 379,411 भा0द0सं0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 प्रशि0 अजय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 अशोक कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का0 विश्वजीत सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर